गुड सेमेरिटन नागरिक अधिकार पत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2016 सेव लाइफ फॉउन्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, रिट याचिका (सी) 235/2012 के अनुसार गुड सेमेरिटन का बचाव

गुड सेमेरिटन के अधिकार

गुड सेमेरिटन वह है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर लाता है,

- ✓ उसे अस्पताल से तुरन्त जाने की अनुमति होगी।
- ✓ उसे अपना नाम एवं व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नही किया जायेगा।
- ✓ गुड सेमेरिटन को उचित इनाम या मुआवजा दिया जायेगा।
- ✓ गुड सेमेरिटन को अस्पताल से एक पावती उपलब्ध करवायी जायेगी।

अस्पताल के कर्त्तव्य

- ✓ सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज अपने प्रवेश द्वार पर इस अधिकार पत्र को प्रकाशित करेंगे।
- ✓ कोई भी पंजीकृत सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल गुड सेमेरिटन को रूकने के लिए बाध्य नही करेंगे एवं पंजीयन या भर्ती लागतों के भुगतान की मांग नही करेंगे जब तक कि गुड सेमेरिटन घायल व्यक्ति के परिवार का सदस्य अथवा सगा सम्बन्धी न हो।
- ✓ अस्पताल गुड सेमेरिटन को अपना नाम एवं व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नही करेंगे।
- ✓ सभी अस्पतालों द्वारा गुड सेमेरिटन को मानक फॉरमेट में एक पावती उपलब्ध करायेंगे।
- ✓ सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित किसी आपातकालीन परिस्थिति में प्रत्येक चिकित्सक से चिकित्सकीय देखभाल प्रदान किये जाने की आशा की जाती है। किसी चिकित्सक या अस्पताल द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव में भारतीय चिकित्सा परिषद् (व्यवसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिक) विनियम 2002 के अध्याय–7 व्यवसायिक कदाचार के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा तथा उस चिकित्सक एवं अस्पताल के विरूद्ध कथित विनियम के अध्याय–8 अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।